भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *286

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वर्ष 2025 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना

***286. श्री पुष्पेंद्र सरोजः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
(ख) नदियों में, विशेषकर गंगा नदी और यमुना नदी में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“वर्ष 2025 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना” के संबंध में श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा पूछे गए दिनांक 20.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *286 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल, अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों हेतु पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, देश में 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 18.03.2025 तक, लगभग 12.29 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.03.2025 तक, 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.53 करोड़ (80.20%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। अब तक, 8 राज्य अर्थात गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तथा 3 संघ राज्य क्षेत्र अर्थात पुदुचेरी, दमण व दीव और दादरा व नगर हवेली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 'हर घर जल' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं अर्थात वहां 100% परिवारों को नल जल की आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

(ख): नदी प्रदूषण, विशेष रूप से गंगा और यमुना नदियों में, की समस्या का निपटान मुख्य रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत सीपीसीबी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन तथा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अन्य संबद्ध कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/पीसीसी के सहयोग से देश में जलीय निकायों की जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क (एनडब्ल्यूएमपी) की स्थापना की है। वर्तमान में,

सीपीसीबी के पास राष्ट्रव्यापी जल गुणवत्ता नेटवर्क है जिसमें नदियों में अवस्थित 2155 स्थानों सहित देश भर के 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 4736 स्थान शामिल हैं।

सीपीसीबी द्वारा संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत गंगा और यमुना नदी की जल गुणवत्ता का मूल्यांकन क्रमश: 112 स्थानों (द्विमासिक) और 33 स्थानों (मासिक) पर किया जाता है।

सीपीसीबी द्वारा 5 एसपीसीबी नामत: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सहयोग से एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत गंगा नदी की निगरानी की जाती है और गंगा नदी के 112 स्थानों पर द्वैमासिक आधार पर मैनुअल जल गुणवत्ता निगरानी की जाती है।

बीओडी सांद्रता 3 मिलीग्राम/लीटर से अधिक होने पर विचार करते हुए, सीपीसीबी ने वर्ष 2018 के दौरान (वर्ष 2016 और 2017 के जल गुणवत्ता डेटा के आधार पर) 351 प्रदूषित नदी क्षेत्रों (पीआरएस) की पहचान की जबकि वर्ष 2022 में (वर्ष 2019 और 2021 के जल गुणवत्ता डेटा के आधार पर) 311 प्रदूषित नदी क्षेत्रों (पीआरएस) की पहचान की गई। वर्ष 2022 के दौरान गंगा और यमुना नदी पर पहचान किए गए प्रदूषित नदी क्षेत्रों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

वर्ष 2018 में पहचान किए गए प्रदूषित नदी क्षेत्रों के संरक्षण के उद्देश्य से, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की नदी संरक्षण समितियों (आरआरसी) का गठन किया है; नदी संरक्षण समितियां प्रशासनिक सचिव, पर्यावरण के समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के तहत कार्य करती हैं।

नदी संरक्षण समितियां वर्ष 2018 के दौरान सीपीसीबी द्वारा उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहचान किए गए इन 351 पीआरएस के संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए जिम्मेदार थीं। कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर नदी संरक्षण समितियों द्वारा और केन्द्रीय स्तर पर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

गंगा और यमुना नदी में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

i.) नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 2017 से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे गंगा प्रमुख राज्यों में चल रहे अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। वर्ष 2020 के बाद से,

उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे यमुना प्रमुख राज्यों में चल रहे जीपीआई को भी वार्षिक निरीक्षण में शामिल किया गया था।

ii.) पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की औद्योगिक श्रेणियों के लिए उद्योग-विशिष्ट प्रवाह (डिसचार्ज) मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों को अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल का पर्याप्त शोधन करना अपेक्षित है ताकि अधिसूचित अपशिष्ट जल प्रवाह मानकों का अनुपालन किया जा सके।

iii.) अनुपालन न करने वाले जीपीआई जिन्हें बंद करने के निर्देश जारी किए जाते हैं, का वास्तविक सत्यापन, सीलिंग और बिजली कनेक्शन काटने का कार्य जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से किया जाता है।

iv.) लुगदी और कागज, चीनी, डिस्टिलरी, वस्त्र और टेनरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और ईटीपी प्रणाली के उन्नयन के स्वैच्छिक चार्टर को लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ताजे पानी की खपत, अपशिष्ट जल प्रवाह और प्रदूषण की मात्रा में कमी आई तथा अनुपालन में सुधार हुआ।

v.) स्वयं-निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) के माध्यम से जीपीआई से वास्तविक समय डेटा ट्रांसमिशन स्थापित किया गया था।

vi.) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले 716 नालों की छमाही आधार पर निगरानी की जा रही है।

vii.) गंगा प्रमुख राज्यों में गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में 147 सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की निगरानी।

viii.) गंगा प्रमुख पांच राज्यों में 112 स्थानों पर गंगा नदी की जल गुणवत्ता की मैनुअल निगरानी।

ix.) सीपीसीबी ने छह सहायक नदियों की जल गुणवत्ता के पुनरुद्धार/संरक्षण के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं।

x.) भारत सरकार ने 9 अक्टूबर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गंगा नदी के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह अधिसूचित किया है जिसे नदी पर विभिन्न स्थानों पर बनाए रखा जाना है। (https://nmcg.nic.in/writereaddata/fileupload/28_190717.pdf)

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) शुरू किया था, जो मार्च 2021 तक पांच वर्ष के लिए था और इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों (यमुना सहित) की सफाई और संरक्षण के लिए विविध और समग्र उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें अपशिष्ट जल शोधन, ठोस

अपशिष्ट प्रबंधन, रिवरफ्रंट प्रबंधन (घाट और शवदाहगृह), ई-फ्लो सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वच्छता, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, जन भागीदारी, आदि शामिल हैं। जनवरी 2025 तक, 40121.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 492 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 307 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यरत हैं।

गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जल गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i.) प्रदूषित नदी क्षेत्रों के उपचारण के लिए 33,004 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 206 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनकी शोधन क्षमता 6,335 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है। 3,446 एमएलडी की क्षमता वाली 127 एसटीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यरत हैं;

ii.) औद्योगिक प्रदूषण उपशमन के लिए 3 सामान्य अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) अर्थात् जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बैंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) को मंजूरी दी गई है। दो परियोजनाएं, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूरी हो चुकी हैं;

iii.) एनएमसीजी में, गंगा और यमुना नदी के संबंध में नदी जल की गुणवत्ता, सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) के कार्य-निष्पादन, आदि की निरंतर निगरानी के लिए एक ऑन-लाइन डैशबोर्ड "प्रयाग" शुरू किया गया है;

iv.) कुल 139 जिला गंगा समितियों (डीजीसी) का गठन किया गया है जो नियमित रूप से 4M (मासिक (Monthly), अधिदेशित (Mandated), कार्यवृत्तित (Minuted) और निगरानी (Monitered)) बैठकें आयोजित करती हैं। दिसंबर 2024 तक 3,781 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं;

v.) जैव विविधता संरक्षण: उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात जैव विविधता पार्क और उत्तर प्रदेश (3) तथा झारखंड (1) में 4 प्राथमिकता वाली आर्द्रभूमियों को मंजूरी दी गई है;

vi.) एनएमसीजी ने राज्य वन विभाग के माध्यम से गंगा नदी की मुख्य धारा के साथ-साथ एक वानिकी हस्तक्षेप परियोजना कार्यान्वित की है। लगभग 398 करोड़ रुपये के व्यय से 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण किया गया है;

vii.) केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष परियोजना के तहत मछली जैव विविधता के संरक्षण और नदी डॉल्फिन के खाद्य आधार तथा गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने

के लिए 2017 से अब तक कुल 143.8 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंग्स का गंगा में पालन किया गया है;

viii.) भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून और राज्य वन विभाग के सहयोग से डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के लिए विज्ञान आधारित प्रजाति बहाली कार्यक्रम, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम से डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों की बढ़ती दृष्टिगत आबादी के साथ जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार आया है;

ix.) "गंगा ज्ञान पोर्टल" स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा इन-हाउस विकसित एक अग्रणी पहल है। यह जल संसाधन प्रबंधन पर व्यापक संसाधनों के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। यह मंच छात्रों, शोध विद्वानों, हितधारकों और आम जनता के लिए पत्रिकाओं, प्रकाशन, किताबें, तकनीकी लेख, शोध रिपोर्ट सहित सामग्रियों (716 दस्तावेजों); डेटा सेट (जिला नदी मानचित्र, एसटीपी कार्य-निष्पादन और नदी एटलस) और कॉफी टेबल बुक की एक विशाल सूची तक पहुंच की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। जल संसाधन चुनौतियों की पेचीदगियों पर ध्यान केंद्रित करके, गंगा ज्ञान पोर्टल का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जागरूकता का प्रसार करना और सूचना के आधार पर निर्णय लेने को बढ़ावा देना है;

x.) गंगा टास्क फोर्स (जीटीएफ) का गठन उत्तर प्रदेश राज्य में एनएमसीजी को उसके अधिदेशित कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए किया गया था, जैसे कि (क) मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वृक्षारोपण; (ख) जन जागरूकता/भागीदारी अभियानों का प्रबंधन; (ग) जैव विविधता सुरक्षा के लिए संवेदनशील नदी क्षेत्रों में गश्त लगाना; (घ) घाटों की गश्त लगाना, आदि;

xi.) गंगा दूतों (45,000), गंगा प्रहरियों (2,900 संख्या) और गंगा मित्रों (700 संख्या) का एक संवर्ग जन भागीदारी गतिविधियों में शामिल है;

xii.) गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के प्रयासों में जनता में जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना का सृजन करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इनमें गंगा उत्सव, नदी उत्सव, नियमित सफाई और वृक्षारोपण अभियान, घाट पर योग, गंगा आरती आदि शामिल हैं। इन प्रयासों में गंगा संरक्षकों के समर्पित संवर्गों जैसे कि गंगा प्रहरी, गंगा विचार मंच, गंगा दूत आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *286 के उत्तर में संदर्भित विवरण में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2022 के दौरान गंगा और यमुना नदी पर पहचान किए गए प्रदूषित नदी क्षेत्रों का ब्यौरा

गंगा नदी			
राज्य	**पहचान किया गया क्षेत्र**	**बीओडी मान अधिकतम (मिलीग्राम/एल)**	**प्राथमिकता**
उत्तर प्रदेश	फर्रुकाबाद से इलाहाबाद, मिर्जापुर से गाजीपुर	6.0	V
बिहार	बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर के साथ	7.9	IV
पश्चिम बंगाल	बहरमपुर से हल्दिया	8.0	IV

यमुना नदी			
राज्य	**पहचान किया गया प्रदूषित नदी क्षेत्र**	**बीओडी मान**	**प्राथमिकता वर्ग**
दिल्ली	पल्ला से ओखला D/s	83.0	I
हरियाणा	हथिनीकुंड से पल्ला और पलवल से हसनपुर	43.0	I
उत्तर प्रदेश	असगरपुर, नोएडा के साथ, वृंदावन से हमीरपुर	127	I